पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सरदार पटेल नगर, पाली–मारवाड (राज.)

टेलीफोन नं. 02932–280379, 280193 फैक्स नं. 02932–280304

E-mail:- palidairy@gmail.com

पाली दुग्ध संघ पर सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु निविदा फार्म

भाग – 'अ'

निविदा का नाम	पाली डेयरी सुरक्षा व्यवस्था के कार्य हेतु निविदा।
निविदा सूचना	निविदा सूचना क्रमांक 8263 दिनांक 17.08.2022 जो कि राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र तथा पाली डेयरी के मुख्य कार्यालय, के सूचना पट्ट पर प्रकाषित की गई। साथ ही राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in तथा spp portal पर upload की गई।
निविदा खोलने का स्थान	पाली डेयरी मुख्यालय, पाली
अमानत राषि	रू0 1,00,000 / – (रू. एक लाख रूपये मात्र) जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, payable at pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
निविदा प्रपत्र शुल्क	रू0 2500 / – (रू0 दो हजार पॉच सौ रूपये मात्र) जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, payable at pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
टेण्डर प्रोसेसिंग फीस	रू0 1000 / – जो कि MD, RISL, Jaipur के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट / ऑनलाईन भुगतान, जो payable at Jaipur हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
संघ द्वारा निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	17.08.2022 सायं 05:00 बजे से
निविदादाता द्वारा निविदा अपलोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	19.08.2022 प्रातः 11:00 बजे से
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	31.08.2022 सायं 05:00 बजे तक
अमानत राषि, निविदा प्रपत्र षुल्क तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	02.09.2022 दोपहर 02:00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	06.09.2022 प्रातः 11:00 बजे
वित्तिय निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	To be declared
निविदा कुल लागत (अनुमानित)	रू. 92.64 लाख (दो वर्ष का)
निविदा प्रकिया अवधि	90 दिन
निविदा कार्य अवधि	दो वर्ष

कार्यालय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सरदार पटेल नगर, पाली–मारवाड (राज.)

निविदा तकनीकी प्रपत्र पार्ट – अ

संघ में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा। निविदादाता निम्नाकिंत प्रपत्र में सही व सत्य, पूर्ण सूचनाऐं भरकर मय अपने हस्ताक्षर से छाया प्रतियो वांछित दस्तावेजो को मूल से स्केन कर वेब साईड पर लोड करे, अपूर्ण असत्य व गलत सूचनाऐं, साक्षियो के पाये जाने पर निविदा निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता अपने हस्ताक्षर कर वेब साईड पर लोड करेगा। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म का मालिक स्वयं निविदा पर हस्ताक्षर करेगा। केवल सांझेदारी फर्म, कर्ता व प्राईवेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के लिए अधिकृत प्रतिनिधि वांछित पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न करते हुए ही निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा।

विवरण	मांगे गये वांछित दस्तावेज
निविदादाता	आधार कार्ड, मतदाता, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स/राषन कार्ड
पिता का नाम	उपरोक्तानुसार
स्थाई पता	उपरोक्तानुसार
पत्राचार का पता	उपरोक्तानुसार
जहा फर्म हो इसका भी पत्राचार का पता (लिखे)	पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
पासपोर्ट साईज फोटो	फोटो चिपकावे व हस्ताक्षर करे।
बेसिक फोन	टेलिफोन बिल सलंग्न करे।
मोबाइल फोन	बिल सलंग्न करे।
फैक्स नं.	टेलिफोन बिल सलंग्न करे।
ई–मेल का पता	लिखे।
नोट– साझेदार फर्म की दषा मे सक्रिय साझेदार तथा एचयूएफ की दषा मे कर्ता तथा कम्पनी फर्म की दषा में सक्रिय निदेषक निविदा भरेगें व निविदा प्रपत्र व हस्ताक्षर करेगें, अतः उनका विवरण उपरोक्त कालम मे भरे। इन सबके लिए पावरऑफ अटोरनी सलंग्न करे। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म की दषा में स्वयं ही निविदादाता उपरोक्त जानकारी देकर हस्ताक्षर करेगें	
कार्य अनुभव प्रमाण पत्र /कार्य आदेष	सलंग्न करें।
आधार कार्ड	सलंग्न करे।
पैन कार्ड का विवरण	सलंग्न करे।
निविदादाता के बैंक का नाम व पता	बैंक की पास बुक जिसमें यह विवरण हो।
निविदादाता के बैंक खाता संख्या	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक आईएफसी	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक खाते के अनुसार अंकित नाम का विवरण	उपरोक्तानुसार
जमा निविदा फीस बैंक ड्राफ्ट की संख्या व दिनांक तथा राषि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
जमा निविदा प्रोसेसिंग फीस बैंक ड्राफ्ट की संख्या व दिनांक तथा राषि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
अमानत राषि के लिए प्रस्तुत डी.डी/की संख्या व दिनांक तथा राषि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत घोषणा पत्र– नोमिनि घोषणा बाबत्, वयस्क एवं मानसिकरूप से स्वस्थ होने बाबत्, ब्लेकलिस्ट नही होने बाबत्, दिवालिया नही होने बाबत्, निवास स्थान के पते के बाबत् निविदा प्रपत्र में दषाई सभी जानकारिया सत्य व सही होने तथा कोई भी सूचना व दस्तावेज मिथ्या नही होने अथवा कोई तथ्य नही छिपाया गया होने बाबत्, निविदाप्रपत्र में अंकित सभी विवरण शर्तो, संलग्नको से सहमत होने, पढकर समझ लेने तथा प्रमाण स्वरूप सभी पर हस्ताक्षर कर देने बाबत्, स्वयं अथवा उसके आश्रित पति–पत्नि, पुत्र–पुत्री , पुत्रवधु अथवा आश्रित माता– पिता का संघ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवा में नहीं होने व संचालक मण्डल सदस्य या उनका कुटूम्बी नही होने बाबत् घोषणा पत्र	नोटेरी पब्लिक से सत्यापित मूल शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पर सलंग्न करे।
पी0एफ0 कोड पंजीयन	प्रमाण पत्र संलग्न करें।
ई0एस0आई0 पंजीयन	प्रमाण पत्र संलग्न करें।
श्रम विभाग रजिस्ट्रेषन लाईसेन्स व वैघता (ण्दि हो तो)	प्रमाण पत्र संलग्न करें।
G.S.T No.	संलग्न करें।
Rajasthan Slopsand Commercial Establishmants Act 1958 Regrestration and Validity	संलग्न करें।
Licance to age in Business of Private Secarity Agency Regrestration (Govt. of Rajasthan and Other States)	संलग्न करें।
घोषणा पत्र की संघ में अथवा राजस्थान के अन्य संघों में वर्तमान में निविदादाता के जितने भी अनुबन्ध संचालित है उसका विवरण। (संघ के आदेष संलग्न करें।)	दस्तावेज संलग्न करे।

केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेषानुसार केवल न्यूनतम दरें देने वाले निविदादाता से ही निगोसियेषन किया जावेगा। अतः न्यूनतम दर ही निगोसियेषन का आधार होगा। दर अधिक होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लि0,सरदार पटेल नगर, पाली–मारवाड
सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र
तकनिकी ''अ'' भाग

निविदा अवधि 2 वर्ष
अमानत राषि रू0 : 1,50,000/–

1.निविदादाता संस्था का नाम : ....
(विस्तृत पता व फोन नम्बर) : ....
....
....

2.राजस्थान सहकारी संस्था पंजीयन संख्याः ....
(सुरक्षा कार्य बाबत् एजेन्सी का पंजीकरण होना आवष्यक है)
(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3.श्रम विभाग द्वारा आवंटित
पंजीयन संख्या व राज्य सरकार : | | | | | | | | | | |
द्वारा निजी सुरक्षा कार्य लाईसेंस का संस्था
को अधिकृत करने का वैधता दिनांक
(पंजियन न. अंको मे स्पष्ट लिखे ताकि ऑनलाईन वेरिफाई किया जा सके)

4. संस्था का भविष्य निधि पंजीयन खाता संख्या व कर्मचारी राज्य बीमा खाता संख्या(पीएफ व ईएसआई) दोनों का नवीनीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

5. आयकर स्थाई खाता संख्या : ....

6. संस्था का आयकर का विवरण (गत दो वर्षो (वर्ष 2019–20 व 2020–21) का आयकर रिटर्न संलग्न करें)

7. सुरक्षा कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें (गत दो वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र या किसी सरकारी व गैर सरकारी मे दो वर्ष करर्य करने का आदेष (जो कि कार्य 24 माह का पुर्ण होना चाहिये) संलग्न करें)
(राजस्थान सहकारी/ गेर सरकारी अथवा किसी अन्य संस्था मे सुरक्षा व्यवस्था कार्य का दो वर्षो का पुर्ण अनुभव होना आवष्यक है उसे सलंग्न करे।)

8. क्या संस्था/निविदादाता को उक्त कार्य के लिये कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है।
(कृपया अन्डर टैकिग दे)

9.संध के लिये निम्नानुसार सुरक्षा प्रभारी , प्रहरी की आवष्यकता होगी –
(लेकिन मांग के अनुरूप संख्या घटाई व बढाई जा सकती है)

1. सुरक्षा प्रभारी (ASO) – 01
2. सहायक सुरक्षा प्रभारी (SUPERVISIOR) – 03
3. सुरक्षा प्रहरी (भुतपुर्व सैनिक) – 10
4. सुरक्षा प्रहरी (सामान्य) – 20
5. रोकड (CASH) हेतु सुरक्षा प्रहरी – 01

10. उपरोक्त स्वीकृत प्रभारी व प्रहरी को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर अनुसार भुगतान देय होगा ।

11. कार्य संध परिसार के तीन पारियो के लिये कार्य करना होगा ।

12. संघ मे सुरक्षा कार्य (24 घंटे) तीन अलग–अलग पारियो मे किया जाना है ।

उपरोक्त न्यूनतम योग्यताऐं नहीं होने पर उस निविदाकर्ता का वित्तीय प्रपत्र भाग–''ब''नहीं खोला जायेगा।

घोषणा

निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न सभी शर्तो को मैनें ध्यान से पढ लिया है व समझ लिया है । मैं सुरक्षा संस्था का अधिकृत प्राधिकारी हूँ व मेरे हस्ताक्षर ही संस्था प्रतिनिधि के रूप में मान्य/स्वीकार्य है। संघ द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुबन्ध पत्र भी सम्पादित किया जाना स्वीकार करता हूँ। उपरोक्त किसी भी दस्तावेज के अभाव में मेरा टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता/सुरक्षा संस्था प्रतिनिधी

कार्यालय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,सरदार पटेल नगर, पाली–मारवाड (राज0) – 306401

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा वित्तीय ''ब'' भाग

निविदादाता संस्था का नाम	:	....
(विस्तृत पता व फोन नम्बर)	:	....
		....
		....

निविदादाता की दर :–

1. उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु सर्विस चार्ज दर .... प्रतिषत

हस्ताक्षर निविदादाता

पाली दुग्ध संघ कार्यालय एवं डेयरी संयंत्र के अधिनस्थ केन्द्रों के परिसर की सुरक्षा व्यवस्था

निविदा शर्ते

1. जिला दुग्ध संघ,पाली मुख्यालय व उसके अधीन फालना व जैतारण इकाई के लिये सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवष्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की आवष्यकता होगी।
2. दर देने से पूर्व समस्त षर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर/अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करे।
3. **संघ मुख्य कार्यालय,पाली में रू0 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) अमानत राषि के रूप में बैंक की डी0डी0 जमा करवानी होगी। बिना अमानत राषि निविदा (टेण्डर) स्वीकृत नहीं होगा।**
4. **निविदा की स्वीकृति मिलने पर सफल निविदादाता को रू0 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) अमानत राषि अतिरिक्त बतौर धरोहर राषि जमा करवानी होगी। जिसमें अमानत राषि समायोजित कर दी जायेगी।**
5. **अमानत राषि एवं धरोहर राषि के रूप में संघ में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
6. उपरोक्त धरोहर राषि के अलावा सफल निविदादाता को रू0 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) की बैंक गारंटी 30 माह के लिये संघ को देनी होगी।
7. केन्द्रीय सरकार को देय सर्विस चार्जेज सफल निविदादाता को देना होगा एवं संबंधित विभाग के पंजीकरण नम्बर संघ को प्रस्तुत करेगें।
8. सुरक्षा संस्था को श्रम अधिनियम के तहत् अपना नियमानुसार पंजीकरण करवाया जाना आवष्यक होगा व वैध प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
9. **सुरक्षा संस्था के अधीन कार्यरत समस्त सुरक्षा कर्मचारियों के वेतन भुगतान समय– समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम इत्यादि एवं श्रम कानूनों की अनुपालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की स्वयं की होगी।**
10. **सुरक्षा संस्था द्वारा पदस्थापित सुरक्षा कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम की औपचारिकताऐं पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा। पूर्व माह के भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा संबंधित जमा राषि के चालान की प्रतियॉ प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।**
11. **सुरक्षा संस्था द्वारा अनुबंधित सुरक्षा कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार राषि का भुगतान संघ परिसर में करना होगा तथा वेतन भुगतान रजिस्टर पर संघ द्वारा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाने होगें। श्रम अधिनियम के तहत् अन्य किसी प्रकार का लाभ यदि सुरक्षा कर्मचारियों को दिया जाना हो तो यह सुरक्षा संस्था द्वारा अनुबंधित सुरक्षा कर्मचारियों को देना होगा। सुरक्षा कर्मियों को किये गये भुगतान का पूर्ण रिकार्ड रखना होगा एवं मांगने पर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।**
12. **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भविष्य में न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन करने का अनुपातिक राषि अनुबंधित राषि में बढाई एवं घटाई जावेगी। राज्य सरकार/सैनिक बोर्ड प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यूनतम दरों में वृद्धि किये जाने पर संघ द्वारा अनुपातिक वृद्धि नियमानुसार की जायेगी,जिसका नियमानुसार भुगतान सुरक्षा सेवा अनुबन्धक द्वारा अपने कर्मियों को किये जाने की जिम्मेवारी होगी।**
13. संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिये सुरक्षा संस्था व संघ प्रबन्ध के साथ वार्तालाप उपरान्त निष्चित कर निर्धारित संख्या में सुरक्षा कर्मचारी रखने होगें। इस कार्य के लिये कितने सुरक्षा कर्मचारी रखे जावेगे,यह लिखित रूप में इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

14. यदि अनुबंध अवधि के दौरान नियुक्त किसी सुरक्षा कर्मचारी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है तो इसके लिये नियमानुसार जो भी भुगतान तथा दायित्व निर्धारित होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।
15. श्रम अधिनियम एवं अन्य नियम,अधिनियम जो भी अनुबंधित सुरक्षा कर्मियों के लिये लागू होगा,के अन्तर्गत सुरक्षा संस्था को सम्पूर्ण रिकार्ड रखना होगा एवं संघ की संस्थापन शाखा को प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
16. भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा एवं इसके द्वारा काम पर लगाये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के संबंध में ही राज्य कर्मचारी बीमा अंष की कटौती नियमानुसार कर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित जमा करानी होगी एवं इस संबंध में संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. वर्कमैन कम्पनसेषन एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम/भविष्य निधि/ई.एस.आई. एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत संघ को सभी दायित्वों,हानि,क्लेम,क्षतिपूर्ति व्यय आदि से मुक्त रखना होगा। किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देष,परिपत्र सूचना जो कि सुरक्षा संस्था के कर्मचारियों से संबंधित है,से भी संघ मुक्त होगा व सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।
18. संघ के साथ सुरक्षा संस्था द्वारा किया गया अनुबन्ध एवं सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति श्रम अधिनियम के तहत् होगी।
19. सुरक्षा संस्था के किसी भी कर्मचारी के द्वारा ठेका अवधि अथवा उसके बाद यदि रोजगार दिये जाने के संबंध में कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी एवं वाद के निपटारे तक जमा कराई गई धरोहर राषि नहीं लौटाई जावेगी।
20. सुरक्षा संस्था द्वारा जिन कर्मचारियों से सुरक्षा कार्य करवाया जायेगा। वे सभी मिलिट्री सेवा से निवृत्त (एक्स आर्मीमैन) होगें व उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की प्रतियॉ संघ कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उनके आचरण के संबंध में स्थानीय पुलिस से प्रमाणीकरण करवाया जा सकता हैं। यह भी सुनिष्चित करना होगा कि उनके द्वारा भिजवाये गये सुरक्षाकर्मी अनुभवी व प्रषिक्षित होने एवं परिसर में अनुषासन बनाये रखेंगे। किसी भी स्तर पर ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार या आचरण की यदि कोई षिकायत मिलती है अथवा सुरक्षा कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अनुषासनहीनता बरतने पर उस कर्मचारी को तुरन्त हटाकर सूचित करना होगा व उसके खिलाफ शास्ति आरोपित की जावेगी।
21. सुरक्षा संस्था सम्पूर्ण सुरक्षा कार्य संघ द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अथवा प्रभारी के निर्देषानुसार कार्य करेगा। सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी द्वारा संघ में चोरी अथवा बदनीयती से किये जानेवाली हानि के लिये नुकसान का दस गुना तक षास्ति आरोपित की जा सकेगी। उक्त कृत्य में पाये गये दोषी कर्मी का संघ में प्रवेष वर्जित करते हुये संबंधित एजेन्सी एवं संबंधित को समस्त कार्यो के लिये अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित कर दिया जावेगा।
22. सुरक्षा संस्था को संघ के साथ यह अनुबन्ध दौ वर्ष की अवधि के लिये आंवटित किया जावेगा। अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर संघ द्वारा तीन माह तक अवधि बढाई जा सकेगी। तत्पश्चात् आपसी सहमति से यदि संघ उचित समझेगा तो एक वर्ष ओर बढायी जा सकेगी। निर्धारित शर्तो का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य आवंटन किया जा सकता है।
23. सुरक्षा कर्मचारियों को आग बुझाने वाले उपकरणों को चलने की पूर्ण जानकारी होना और सुरक्षा सुपरवाईजर को प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में जानकारी होना अनिवार्य है। आग बुझाने वाले उपकरणों को सदैव चालू हालत में रखा जावेगा व आवष्यकता पडने पर इनका न्यूनतम समय में उपयोग में लाने व आग बुझाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

24. संघ परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने अथवा चोरी होने पर सुरक्षा संस्था को स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करना होगा एवं रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। पुलिस द्वारा मांगने पर सहयोग देना होगा।
25. सुरक्षा संस्था को संघ द्वारा मांगने पर डिटेक्टिव्स सर्विसेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. संघ को अतिरिक्त आवष्यकता पडने पर सुरक्षा संस्था को इन्हीं सेवा षर्तो पर तुरन्त अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होगे।
27. सुरक्षाकर्मियों के संबंध में श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान,भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा के कटौतियॉ जमा इत्यादि की वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. संघ कार्यालय भवन/डेयरी संयंत्र/प्रषिक्षण केन्द्र भवन तथा अन्य कोई आदेषित परिसर में स्थित संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं आगन्तुकों तथा आवासीय कालोनी की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को किसी भी समय क्षति पहॅूचती है और यह पाया जाता है कि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा कार्य में लापरवाही बरती है अथवा क्षति रोकने में किसी प्रकार का संतोषजनक प्रयास नहीं किया है तो उसकी भरपाई सुरक्षा संस्था से की जावेगी।
29. किसी भी सुरक्षा कर्मचारी को संघ परिसर में ठहरने/खाना बनाने/सोने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
30. सुरक्षा संस्था द्वारा लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को एक समान पूर्ण वर्दी/लाठी/टार्च तथा सुरक्षा के लिये अन्य आवष्यक सामान सुरक्षा संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को प्रतिदिन पूर्ण वर्दी में ड्यूटी पर आना होगा। बिना वर्दी के किसी भी सुरक्षा कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लिया जावेगा।
31. सुरक्षा संस्था को प्रतिदिन निर्धारित संख्या में सुरक्षा कर्मचारी भिजवाने आवष्यक होगें। सोते पाये गये तथा निर्देषों की पालना में लापरवाही बरतते पाये जाने पर रू0 500/– व अधिक 5000/– तक शास्ति आरोपित की जावेगी। प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाष (वेतन) अनिवार्य रूप से देना होगा जिसका उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा।
32. संघ कार्यालयों एवं सयंत्र परिसर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्दिष्ट ड्यूटी निष्पादन के माध्यम से चुस्त पर्यवेक्षीय नियंत्रण,सुरक्षा व्यवस्था व परिसर से बाहर आने व जाने वाले सामान का सही विवरण निर्धारित पंजिकाओं में रखना होगा।
33. संघ कार्यालयों एवं सयंत्र परिसर में कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा बिना पूर्व अनुमति के किसी आगन्तुक को प्रवेष अनुमत नहीं किया जावेगा। इसकी त्रुटि पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जावेगी।
34. संघ के सयंत्र पर मौजूद कैन व क्रेटस के चालू स्टोर (रनिंग) की जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी। सयंत्र पर संघ /सयंत्र भण्डार से प्राप्त नये कैन व कैरेटस् प्राप्त करने व जमा करने के साथ दुग्ध विपणन में गेटपास द्वारा सयंत्र से दिये जानेवाले एवं वापसी में खाली आनेवाले कैनों व कैरेटस् का सम्पूर्ण हिसाब–किताब रखने की जिम्मेवारी सुरक्षा व्यवस्था संस्था की होगी। प्रतिमाह भौतिक सत्यापन संघ प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में कम पाये जाने वाले क्रेटस की कीमत व उस पर प्रषासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के अनुसार मय षास्ति के सुरक्षा संस्था से वसूल की जावेगी।
35. संघ परिसर में आने जाने वाले दुग्ध व दुग्ध पदार्थ की मात्रा व उसके कन्टेनर्स के चालान की मात्रा व लौटते समय जाने आने वाली खाली केन्टेनर्स की वास्तविक मात्रा का मिलान सुरक्षा कर्मियों द्वारा सावधानी से किया जावेगा। किसी भी समय सुरक्षा गेट पर मिलान के उपरान्त निरीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो कम पाई गई उस मात्रा की कीमत वसूली के अलावा उस पर संघ प्रषासन द्वारा षास्ति आरोपित कर सुरक्षा संस्था से वसूली की जावेगी। यदि संघ को हानि पहॅूचानी संबंधी किसी प्रकरण में सुरक्षा संस्था से जुडे किसी कर्मी की लापरवाही या संलिप्तता जॉच मे पायी जाती है तो संघ को हुई क्षति राषि की 10 गुणा शास्ति की वूसली सुरक्षा व्यवस्था अनुबन्धक से की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

36. संघ कार्यालय/डेयरी परिसर में उपस्थिति अंकित करने की पंजिकाओं व उपकरण की सम्पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा।
37. संलग्न कार्य अनुसार कार्य करना होगा।
38. अनुबन्ध के संबंध में निविदादाता एवं पाली दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद अगर होता है तो उसका निपटारा राजस्थान सहकारी एक्ट के तहत् होगा।
39. कार्य बीच में छोडने पर निविदादाता की धरोहर राषि बैंक गारंटी एवं बकाया बिल पाली दुग्ध संघ द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
40. निविदादाता द्वारा किसी भी षर्त का उल्लंघन करने पर संघ को होनेवाली आर्थिक हानि की वसूली ठेकेदार की धरोहर राषि,बैंक गांरटी व बकाया बिलों से की जा सकेगी।
41. सफल निविदादाता/सुरक्षा ठेकेदार को उनके द्वारा रखे गये सुरक्षाकर्मियों को पी0एफ0,ई0एस0आई0 चिकित्सा सुविधा एवं यूनीफार्म की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।
42. सुरक्षाकर्मियों एवं सुरक्षा ठेकेदार को संघ से कोई आवासीय सुविधा व मकान किराया देय नहीं होगा,तथा अपने कार्य समय के अतिरिक्त समय में सुरक्षाकर्मियों को संघ परिसर में उपस्थित रहने,खाना पकाने व स्नान करने आदि की अनुमति नहीं दी जायेगी।
43. निविदाकर्मी पाली संध का कर्मचारी व कर्मचारी का रिष्तेदार, बोर्ड के सदस्यो (माता– पिता , पत्नी , पुत्र ,पुत्रवधु , अविवाहित पुत्री , सगा भाई व सगे भाई की पत्नी) नही होने चाहिये । श्रमिक युनियन आदि के सदस्य नही होने चाहिये ।
44. भुगतान माह में एक बार किया जायेगा। इस हेतु अधिकृत सुरक्षा संस्था को बिल प्रस्तुत करना होगा। जिसे नियमानुसार भुगतान पारित करने की व्यवस्था की जायेगी।
45. उपयुक्त संख्या में गार्ड कार्य पर न लगाये जाने की अवस्था में प्रति गार्ड प्रतिदिन देय दर से दुगुना जुर्माना लगाने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।
46. किसी भी नाबालिग/सजा से दण्डित व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेगें।
47. अधिकृत सुरक्षा संस्थान सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी सुरक्षा पर्सन/श्रमिक को कार्य से हटाने अथवा कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित में सूचित करना होगा।
48. अधिकृत सुरक्षा संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये समस्त व्यक्तियों के नाम,स्थायी पते,पहचान–पत्र आदि की सूचि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रबन्ध संचालक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
49. किसी भी शर्त/कार्य का पालन पूर्णतया न होने पर अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा एवं अमानत/धरोहर राषि व बकाया कार्य बिल की राषि जब्त कर ली जायेगी अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है।
50. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक,पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,पाली को होगा।
51. **समस्त सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा प्रभारी/सहायक सुरक्षा प्रभारी भूतपूर्व सैनिक ही उपलब्ध करवाया जाने की प्राथमिकता होगी। सम्पूर्ण संख्या में भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा सेवा संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर भूतपूर्व सैनिक व सिविल सुरक्षा गार्ड की संख्या का अनुपात 60 प्रतिषत भूतपूर्व सैनिक व षेष 40 प्रतिषत सिविल सुरक्षा गार्ड का रखा जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा प्रभारी व सहायक सुरक्षा प्रभारी का भुतपूर्व सैनिक सेवा का होना अनिवार्य होगा। सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा अनुबन्धक द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित वर्दी में ही कार्यरत रहेगें तथा अंगरक्षा हेतु लाठी/बैटरी अधिकृत सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जावेगी।**
52. डेयरी परिसर में होने वाली चोरियों की रकम अधिकृत सुरक्षा ठेकेदार के बिल में से कटौती कर वसूल की जावेगी।
53. सर्विस टैक्स हेतु संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेषन नम्बर लेने होगें।

हस्ताक्षर निविदादाता

54 दर अधिक प्रतीत होने पर न्यूनतम दर निविदाकर्ता L1 से नेगोषियेषन किया जायेगा,जो उसी दिन अथवा अन्य दिवस में करवायी जा सकेगी।

55. सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु आप द्वारा रखे गये सुरक्षाकर्मियों के पद , कार्य , कार्य स्थल संबंधी ड्यूटी रोस्टर (कार्य विवरण पत्रक) पाक्षिक रूप से नियमित जारी कर प्रतिमाह की 2 व 17 तारीख तक इस रोस्टर चार्ट की लिखित प्रति प्रभारी अधिकारी(सयंत्र) एवं प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) को आवश्यक रूप से देगें। इन्हीं तारीखों को आप सयंत्र पारी प्रभारी के समक्ष कैन व कैरेटस् का भौतिक सत्यापन करवाकर इसकी रिपोर्ट उपरोक्त अधिकारियों को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगें।

56. सुरक्षा व्यवस्था कार्य अनुबन्धक द्वारा संघ एवं सयंत्र की सुरक्षा के लिये लगाये गये सभी सुरक्षाकर्मियों के एक्सआर्मी ,डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एवं पद की जानकारी की फोटो प्रति एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों के चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संघ को उपलब्ध करवाना होगा।

57. सयंत्र सुरक्षा कार्य पर लगे कर्मी स्वीकृत संख्या अनुसार एवं आवंटित कार्य व कार्य स्थल पर जिम्मेवारीपूर्वक अपने काम को अंजाम देगें। वे किसी भी परिस्थिती में अपना सयंत्र पर कार्य स्थल को छोडकर कहीं अन्यत्र नहीं जायेगें वे प्रोसेस व उत्पादन षाखा में पारी प्रभारी के पास ही मौजूद रहेगें व निर्देषानुसार कार्य करेगें।

58. सर्विस टैक्स चुकाये जाने बाद चालान प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान संघ द्वारा देय होगा।

59– सफल निविदादाता/अनुबन्धक को संघ की नोमिनल मेम्बरषीप हेतु संध का एक नोमिनल शेयर रू0 100/– संघ कार्यालय में जमा कराकर लेना होगा।

60 सुरक्षा संस्था जो कि निविदा मे भाग लेगी को न्युनतम किसी भी सरकारी/ गैर सरकारी अथवा अन्य संस्था मे दो वर्ष का कार्यअनुभव होना चाहिये जिसके लिए निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य आदेष की प्रति सलंग्न करावे ।

61. राज्य व कैन्द्रीय कर्मचारी , अन्य राजकिय उपक्रम , बोर्ड निगम मे निविदा के लिये निविदा मे भाग नही ले सकेगे ।

62 सफल निविदादाता द्वारा एक ही दर पर एक से अधिक निविदा प्राप्त होने पर किसी भी निविदादाता को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा कमेटी व प्रबन्ध सचांलक महोदय को होगा ।

63. अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसे अपिलेन्ट एथोरिटी के समक्ष नियमानुसार उचित समय मे प्रस्तुत किया जाये जिसका निस्तारण अपिलेन्ट एथोरिटी द्वारा किया जायेगा ।

64. निविदा भाग 'ब' खोलने के पष्चात् यदि निविदा दर एक से अधिक निविदाकर्ताओ द्वारा एक समान दर प्रस्तुतकी जाती है तो समस्त एक समान न्युन्तम निविदाकर्ताओ L1 के साथ लोटरी द्वारा ही निविदा का अन्तिम निर्णय किया जायेगा जिसके लिये समस्त निविदाकर्ताओ को उक्त षर्त मान्य होगी

65. सुरक्षा प्रभारी भुतपुर्व सैनिक होना आवष्यक है या अन्य भी मॉग योग्यतानुसार लगाने होगे।

66. तकनीकी सहायता के लिये 9461170793 पर संपर्क कर सकते है ।

67. निविदाकर्ता सर्विस चार्ज की दर 0 % (प्रतिषत) प्रस्तुत नही करेंगे । 0 % प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य कर दि जायेगी ।

68. निविदा आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 व नियम 2013 के प्रावधान के अधिन होगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,पाली–मारवाड.

–:: कार्य प्रणाली ::–

1. रूट से आने वाले दूध के भरे टेंकरों ें आदि की जॉच एवं गिनती,रूट व ट्रक के नम्बर तथा समय का रजिस्टर में इन्द्राज करना। खाली टेंकरों की संख्या गेट पास के अनुसार ट्रक की पूर्ण जॉच का कार्य ।
2. दूध से भरे जाने वाले टेंकरों के नम्बर नोट करना,गेट पास लेना एवं मदर डेयरी व दिल्ली आने व जाने वाले टेंकरों के नम्बर नोट करना व दिल्ली तथा अन्य डेयरियों से पुनः प्राप्त होने वाले चालानों की प्रतियॉ वाहन चालक से लेकर प्रभारी उत्पादन को प्रतिदिन भेजना।
3. बाहर से आने वाले दर्षकों/अतिथियों के नाम,पते,कारण सहित नोट कर प्रवेष की अनुमति संबंधित अधिकारी से पूछ कर देना।
4. डेयरी परिसर में आने वाले सामान का इन्द्राज कर मुख्य द्वार पर देख कर ही अन्दर जाने की अनुमति दी जाये एवं इस हेतु रजिस्टर का संधारण कर बिल के पीछे इन्द्राज करना।
5. प्रातः में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी गत दिवस की सुरक्षा कार्य व गतिविधियॉ विभिन्न पारियों में समय–समय पर निरीक्षण की प्रबन्ध संचालक को रिपोर्ट देगें।
6. अनुबन्ध के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभारी सुरक्षा विभाग,पाली से प्रतिदिन चैक/प्रमाणित करवायेगें एवं उसी उपस्थिति अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जावेगा।
7. डेयरी सीमा के बाहर जाने व आने वाले डेयरी के वाहन कार/जीप आदि के किलोमीटर नोट करना।
8. किसी भी अषोभनीय हरकतों/घटनाओं की सूचना प्रबन्ध संचालक को देना।
9. दूध के टेंकरों/ट्रकों या अन्य वाहनों द्वारा डेयरी के अंदर व बाहर जाने–आने वाले सामान की पूरी छानबीन कर इन्द्राज करना।
10. डेयरी की पूरी सम्पत्ति की हर तरह सुरक्षा करना।
11. **डेयरी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की चैकिंग करना,जिसमें टिफन आदि भी शामिल है। दुग्ध संयत्र पर तीनों पारियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक अनुबन्धक के माध्यम से कार्यरत विभिन्न अनुभागों के श्रमिक/जोब कार्य अनुबन्ध के माध्यम से कार्यरत श्रमिक/दुग्ध टैंकर व बीएमसी टैंकर पर कार्यरत स्टॉफ/दुग्ध परिवहन एवं विपणन अनुबन्धको के स्टॉफ की आवाजाही के समय उनकी सम्पूर्ण तलाषी लेना एवं उपरोक्त के साथ उपयोग में लाये जानेवाले दुपहिया वाहन टैंकर,टेम्पो,ट्रक आदि के केबिनों की सतर्कता से तलाषी किया जाना जिससे की इस पैरा में वर्णित व्यक्तियों द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद की चोरी नहीं की जा सके। चोरी पकडे जाने पर तुरन्त प्रबन्ध संचालक व प्रभारी (सयंत्र) को रिपोर्ट करना ताकि इन अनुबन्धक स्टॉफ के श्रमिकों द्वारा संघ को पहॅूचायी गयी क्षति/हानि/पर चुरायी गयी सामग्री का 10 गुणा राषि की शास्ति संबंधित अनुबन्धक पर लगायी जाकर चोरी करने पर रोक लगायी जा सके।**
12. प्रबन्ध संचालक के निर्देषानुसार समय–समय पर सुरक्षा संबंधी कार्य भी करेगें।
13. सुरक्षा में किसी प्रकार की असावधानी से होनेवाली क्षति की वसूली मासिक सुरक्षा भुगतान बिलों से की जावेगी।
14. संध से विक्रय माल का उधार व रोकड बिलो का उत्पाद अनुसार गेट पास से पुर्व जॉच करना व उत्पाद अनुसार रोकड व उधार बिलो का अलग–अलग इन्द्राज करना , इन्द्राज के दौरान किसी समान्तर बिलो मे किसी नम्बर का बिल प्राप्त नही होने पर जॉच करना व सुधार करना ।

हस्ताक्षर निविदादाता

14. दुग्ध कोल्ड स्टोर में भरे एवं खाली कैन/क्रेट की सुपुदर्गी सयंत्र में पारी प्रभारी/वितरण प्रभारी को करना उसकी जिम्मेदारी सुरक्षाकर्मियों की होगी।

15. डेयरी प्लांट के सभी कैन/क्रेटस का रख–रखाव व रिकार्ड रखने के साथ अनुबन्ध की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व भी समय–समय पर चाहे अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन करवाना व आवश्यकता होने पर सुपुर्द करना होगा। कैनस/क्रेटस एवं प्लांट से संबंधित सामान आदि की कमी पाये जाने पर उसकी कीमत वसूली अधिकृत सुरक्षा संस्था/ठेकेदार की अमानत राषि एवं बिल में से की जावेगी।

16. डेयरी सयंत्र से सभी दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के वितरण के समय वितरण डॉक पर सुरक्षाकर्मी की निर्धारित संख्यों में उपस्थिति अनिवार्य होगी जो सयंत्र पारी प्रभारी द्वारा दिये गये प्रपत्र/गेट पास अनुसार विभिन्न प्रकार के दूध की पैकिंग की मात्रा के अनुसार
संबंधित दुग्ध विपणन पथ के वाहन में गेट पास अनुसार दुग्ध व दूध के कैरेटस् एवं कैनों की लोडिंग का समूचित एवं सतर्कता से ज्ञान रखा जाना होगा । किसी भी दुग्ध विपणन वाहन में इसके स्टॉफ द्वारा चोरी कर अथवा छुपाकर अधिक मात्रा में दूध के पाउच/अधिक कैरैट ले जाने की कौषिष न कर सके। इस हेतू इन वाहनों की लोडिंग डॉक पर ही चैकिंग कर चोरी पर रोक लगाना होगा। किसी भी विपणन अनुबन्धक के वाहन स्टॉफ को दूध चोरी कर अधिक मात्रा में ले जाते हुये पकडने पर पारी प्रभारी प्रबन्ध संचालक महोदय व प्रभारी (सयत्र) को अवगत कराकर उस अनुबन्धक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करनी होगी। दुग्ध सप्लाई व्यवस्था में सयंत्र से दिये जानेवाले दुग्ध कैन व कैरेटस् का मात्रानुसार दुबारा डेयरी मैनगेट सुरक्षा प्रभारी द्वारा जॉच कर ही वाहन बाहर करने की व्यवस्था सुरक्षा अनुबन्धक की होगी। दुग्ध विपणन पथों की वापसी में आनेवाले कैन/कैरेटस् की गिनती डेयरी मैनगेट पर की जाकर डॉक पर पुनः गणना कर मिलान कर क्रॉस चैक करना व सही होना निष्चित करना सुरक्षा अनुबन्धक का दायित्व होगा।

17. **डेयरी मैनगेट पर सभी दुग्ध वाहनों,टैंकर्स,बीएमसी टैंकर्स व अन्य वाहनों की समूचित व नियमित चैकिंग करना अनिवार्य होगा। डेयरी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यदि चैकिंग में सुरक्षा व्यवस्था की अनियमितता से दूध व दूध उत्पाद की चोरी पकडी जाती है तो इसके लिये सुरक्षा अनुबन्धक को जिम्मेवार मानते हुये चोरी किये गये दूध व दूध उत्पाद राषि का 10 गुणा शास्ति के साथ रू 50,000 की अतिरिक्त शास्ति लगाकर सुरक्षा व्यवस्था अनुबन्धक से वसूल की जावेगी। उपरोक्त प्रकरण की पुनरावृर्ति हाने पर बिना काई कारण बताये निविदि निरस्त कर दी जायेगी ।**

हस्ताक्षर निविदादाता

BOQ Format

Validate | Print | Help

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: MD, PALI ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., PALI

Name of Work: पाली डेयरी संग मे सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा कार्य

Contract No: PZDUSS/Security/2022-23/8263/17082022

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #
Sl. No.	Item Description	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder दर प्रतिशत में
1	2	5	13
1	पाली डेयरी संग मे सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा कार्य		
1.01	उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु सर्विस चार्ज दर प्रतिशत में(दर के आगे प्रतिशत का निशान ना लगाये।)	दर प्रतिशत में	

हस्ताक्षर निविदादाता